<u>न्यायालय सेशन न्यायाधीश, कोटा (राजस्थान)</u>

पीठासीन अधिकारी	:	सत्यनारायण व्यास
आपराधिक विविध प्रकरण संख्या	:	1295/2026
एफ.आई.आर. संख्या	:	73/2025
अपराध अंतर्गत धारा	:	303(2) भारतीय न्याय संहिता
पुलिस थाना	:	बूढादीत जिला कोटा

राजेश पुत्र लटूरलाल, निवासी छोटी तिरफ रामदेवजी मन्दिर के पास थाना केशवरायपाटन जिला बूंदी हाल भदाना थाना रेल्वे कॉलोनी कोटा ---प्रार्थी अभियुक्त

विरुद्ध

राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक, कोटा ---विपक्षी

जमानत प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

उपस्थितः-

1. विद्वान अधिवक्ता श्री बृजमोहन मालव, प्रार्थी अभियुक्त की ओर से
2. विद्वान लोक अभियोजक श्री मनोज पुरी, राज्य सरकार की ओर से

<u>आदेश</u> **दिनांकः 04.06.2026**

1. प्रार्थी अभियुक्त राजेश की ओर से जमानत का यह प्रार्थना-पत्र उसके अधिवक्ता ने दिनांक 03.06.2026 को पेश किया, जिसकी नकल लोक अभियोजक को दिलाई गई। अनुसंधान पत्रावली आहूत कर अवलोकन किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

2. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी अभियुक्त ने बहस के अंतर्गत जमानत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए कथन किया है कि उक्त प्रकरण से प्रार्थी का कोई सरोकार नहीं है तथा प्रार्थी पूर्णतया निर्दोष है। तथाकथित एफआईआर में प्रार्थी पर जो आरोप लगाये हैं वे झूंठे लगाये गये हैं, प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थी के विरूद्ध उक्त प्रकरण रंजिशवश दर्ज कराया गया है जिससे प्रार्थी का कोई सरोकार नहीं है। प्रार्थी निर्दोष है एवं 25 वर्षीय नवयुवक है जिसके अधिक समय तक न्यायिक अभिरक्षा में रहने से उसके जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। प्रार्थी सीधे-साधे स्वभाव का व्यक्ति है। प्रार्थी छोटी तिरफ रामदेवजी मन्दिर के पास थाना केशवरायपाटन जिला बूंदी हाल भदाना थाना रेल्वे कॉलोनी कोटा का निवासी हैं, जिसके फरार होने व गवाहान को टेम्परविद किये जाने का कोई अंदेशा नहीं है। प्रार्थी द्वारा यह प्रथम जमानत आवेदन प्रस्तुत

किया जा रहा है। प्रार्थी अभियुक्त की ओर से पूर्व में इस न्यायालय एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। उन्होंने प्रकरण के अनुसंधान एवं तत्पश्चात विचारण में समय लगना बताते हुए प्रार्थी अभियुक्त को जमानत की सुविधा प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

3. विद्वान लोक अभियोजक ने प्रार्थी के जमानत प्रार्थना-पत्र का विरोध करते हुये खारिज किये जाने का निवेदन किया।

4. उभय पक्ष को सुनकर उनके तर्कों पर मनन किया गया। अनुसंधान पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि फरियादी विनोद ने दिनांक 11-05-2025 को थानाधिकारी पुलिस थाना बूढादीत के समक्ष उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि उसके पिता भैरूलाल के नाम एक होण्डा कम्पनी की मोटरसाइकिल मॉडल लिवो कलर ब्लैक रजिस्टर्ड है। जिसका नम्बर आरजे 20 एलएस 9378 है जिसके चैसिस नम्बर ME4JC715GHT052303 व इंजन नम्बर JC71ET1081497 है, जो उसके पिताजी द्वारा 05.05.2025 को महराना गांव के धाकड़ सामूहिक विवाह सम्मेलन में लेकर गये थे, वहां से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसे चुरा लिया गया है.....इत्यादि पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-73/2025 संस्थित होकर प्रकरण वर्तमान में अन्वेषणाधीन है।

5. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा S.B. Criminal Misc.Bail Application No.13513/2020 शीर्षक Jugal Vs State of Rajasthan में पारित आदेश दिनांक 25.11.2020 की पालना में पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे प्रकट होता है कि प्रार्थी अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में निम्नलिखित प्रकरण संस्थित हुआ है जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः-

क्र.सं.	नाम थाना	मुकदमा नंबर	धारा	चार्ज शीट नं.	विवरण
1	के.पाटन	317/23	341, 323, 506, 34 आईपीसी	242/2023	.....

6. अनुसंधान पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि उक्त प्रकरण में पूर्व में अंतिम प्रतिवेदन अदम पता माल मुल्जिम में पेश की गयी है। तत्पश्चात दिनांक 01-06-2026 को दौराने नाकाबंदी उक्त प्रकरण में चोरीशुदा मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन नं आरजे 20 एलएस 9378 को अभियुक्त से बरामद किया गया, जिस पर दिनांक 29-05-2026 को उक्त प्रकरण पुनः रिओपन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी अभियुक्त से मोटरसाइकिल बरामद की जा चुकी है। प्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में एक प्रकरण संस्थित हुआ है, जिसकी वस्तुस्थिति को अनुसंधान पत्रावली पर दर्शित नहीं किया गया है। अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में दोषसिद्धि साबित नहीं

हुयी है। प्रार्थी के विरुद्ध धारा 303(2) भारतीय न्याय संहिता का आरोप है जो प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारण योग्य है। प्रार्थी अभियुक्त से कोई अभिरक्षात्मक अनुसंधान शेष नहीं है। प्रकरण के अनुसंधान एवं तत्पश्चात विचारण में समय लगने की सम्भावना है। अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना मैं प्रार्थी अभियुक्त को जमानत की सुविधा प्रदान किया जाना उचित पाता हूँ।

7. निष्कर्षतः प्रार्थी अभियुक्त राजेश की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एतद्द्वारा स्वीकार किया जाकर आदेश है कि यदि प्रार्थी अभियुक्त की ओर से विचारण के दौरान अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में व भविष्य में किसी प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करने की शर्त के साथ राशि 40 हजार का व्यक्तिगत बंधपत्र व राशि 20-20 हजार रूपये की दो सुदृढ़ प्रतिभू (प्रतिभूदाता के आधार कार्ड अथवा मतदाता पहचान पत्र की दो-दो फोटो प्रति सहित) विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद प्रस्तुत कर दिये जावें तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर स्वतंत्र कर दिया जाये।

8. इस जमानत आदेश में किये गये विवेचन का प्रकरण के गुणावगुण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा SMWP(Criminal) No. 4/2021 In Re Policy Strategy for grant of Bail & SLP(Cri.) No. 529/2021 वाले मामले में दिये गये आदेश दिनांक 31.01.2023 की पालना में इस जमानत आदेश की एक प्रति अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह कोटा को भी जरिये ई-मेल प्रेषित की जावे।

(सत्यनारायण व्यास)

09. आदेश आज दिनांक 04.06.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण व्यास)

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.06.04 16:57:03 IST